<u>अध्याय 7</u>

नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधि

<u>धारा 4 (1) (बी) (VII)</u>

1. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) का मुख्य दायित्व महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों तथा छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित ट्रैनिंग पैटर्न के अनुसार जल, थल तथा वायूसेना का प्रशिक्षण देने का है। इस संगठन के मुख्य दायित्व निम्न है :–

(अ) युवकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनमें चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक कियाकलाप तथा खेल भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना।

(ब) संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवकों की एक ऐसी जनशक्ति का निर्माण करना जो सशस्त्र सेनाहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकें और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे ।

(स) सशस्त्र सेना में जीविका (केरियर) बनाने के लिये युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना ।

2. अतः जनता या जनप्रतिनिधि से एनसीसी का सीधा संबंध नहीं है। तथापि अपने विचार एवं परामर्श देने हेतु सभी स्वतंत्र हैं एवं कार्यालय समय में इस हेतु संपर्क कर सकते हैं।